संख्या–107 / 38–4–2013–05(बजट) / 2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2–आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

3–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांकः 20 फरवरी, 2013

विषयः प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन कर रहे आवासविहीन बी0पी0एल0 श्रेणी के पात्र परिवारों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना संचालित की गई है।

2– प्रदेश में काफी संख्या में ग्रामीण परिवार आवासविहीन हैं। बी0पी0एल0 सर्वे–2002 के आधार पर बनाई गई आवासविहीन पात्र व्यक्तियों की स्थाई सूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्यानुसार इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभान्वित किया जाता है।

प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए), जो गरीब हैं और बी0पी0एल0 सर्वे–2002 की सूची में उनका नाम सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय सुविधा से भी वंचित हैं।

ऐसे परिवारों की आवासीय बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के नाम से एक नई योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके दिशा–निर्देश (गाइड लाइन) निम्नवत् हैः–

GAURAV-RD

1— योजना का उद्देश्य—

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अनु0जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को, निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है, जो आवास विहीन हैं व जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0—36,000 से कम है, तथा 2002 में तैयार की गयी बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

2— योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु—

(1)— लोहिया ग्रामीण आवास योजना शत्—प्रतिशत राज्य—सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। यदि परिवार में महिला अर्थात् पत्नी का देहान्त हो गया हो, तो आवास विधुर पति को भी आवंटित किये जाने की छूट होगी। योजनान्तर्गत लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने की पात्रता का विस्तृत उल्लेख प्रस्तर—8 में है। तद्नुसार लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(2)— आवास के साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित "निर्मल भारत अभियान" से डवटेल (युगपित) कर निधियां प्राप्त की जायेंगी।

(3)— इस योजना के अधीन निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास के लिये रू0—एक लाख के अनुदान के अतिरिक्त रु0—15000/— की सीमा तक सोलर लाइट के लिये अलग से शासकीय सहायता अनुमन्य की जायेगी। सोलर लाइट का सम्पूर्ण कार्य वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के माध्यम से नेडा द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

(4)— नेडा द्वारा प्रत्येक इकाई मे प्रदान की जाने वाली सुविधा व "टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स" नियमानुसार निर्धारित कराकर, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार निविदा आमन्त्रित कर दरें निर्धारित की जायेगी।

(5)— सोलर लाइट का नियमित रख—रखाव एवं देखरेख के लिये 05 साल की वॉरण्टी /कम्प्रिहेन्सिव ऐनुअल मेन्टेनेन्स कान्ट्रेक्ट का भी नेडा द्वारा निविदा में ही प्राविधान कर व्यवस्था बनायी जायेगी।

(6)— सोलर लाइट के सुचारू रूप से क्रियाशील रहने में कोई कठिनाई न हो एवं लाभार्थियों की सुविधा के उद्देश्य से नेडा द्वारा कॉल सेण्टर स्थापित कर कठिनाइयों का तत्काल समाधान कराया जायेगा।

(7)— आवास का निर्माण संलग्न मानचित्र के अनुसार किया जायेगा। आवंटित आवास का मानक के अनुसार ही न्यूनतम् आच्छादन क्षेत्रफल 21.11 वर्ग मीटर रहेगा। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कार्मिक द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की भूमि पर ले—आउट बनाया जायेगा। घर के आन्तरिक

3/—

ले–आउट यथा कमरों के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य किया जा सकेगा, किन्तु दो कमरें अवश्य बनाये जायेंगे।

(8)– प्रत्येक निर्मित आवास के मुख्य द्वार के पार्श्व में दीवार पर शिलापट्ट/टाइल लगायी जायेगी, जिस पर योजना का नाम, लाभार्थी का नाम एवं निर्माण वर्ष अंकित होगा साथ ही प्रत्येक निर्मित आवास की पुतायी सफेद रंग से की जायेगी, जिसके किनारों की पुताई लाल रंग से होगी तथा इसके लिये अन्य कोई धनराशि अलग से देय नहीं होगी।

3– प्रति आवास इकाई लागत

योजनान्तर्गत प्रति आवास आच्छादन क्षेत्रफल (कवरेज एरिया) न्यूनतम 21.11 वर्गमीटर में होगा और दो कमरे निर्मित किये जायेंगे। प्रति आवास की अनुमानित लागत रू0 1,20,000/– होगी। इस लागत के सापेक्ष रू0–1,00,000/– सामग्री मद में एवं अवशेष रू0–20,000/– श्रमांश के रूप में लाभार्थी के द्वारा भागीदारी की जायेगी।

4– योजनान्तर्गत लक्षित वर्ग

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार जो आवासविहीन हैं व जिनका नाम बी0पी0एल0 सर्वे–2002 की सूची में सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आच्छादित नही है, एवं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0–36000/– की सीमा तक है, उन्हें क्रमशः चिन्हित करते हुए आरोही क्रम (सबसे कम वार्षिक आय वाले आवासविहीन पात्र व्यक्ति से प्रारम्भ करते हुए आय के बढ़ते क्रम में) से लाभान्वित किया जायेगा।

5– योजना में अनु0जाति/जनजाति तथा सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के परिवारों को लाभान्वित करने हेतु फांट/अनुपात–

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना–2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का 23.41 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 0.07 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की संख्या की उपलब्धता को आधार मानते हुए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत समेकित रूप से कुल 23.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों तथा अवशेष 76.50 प्रतिशत सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

6– योजना के अधीन आवासों की संख्या व जनपद/ब्लाक/ग्राम को आवंटन का आधार–

उक्त योजना के अन्तर्गत आवासों का आवंटन प्रथमतः "डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना" के अधीन चयनित ग्रामों में किया जायेगा।

4/–

यदि उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त करने के बाद भी आवंटन योग्य आवास अवशेष होगें तो उनका निर्धारण निम्न आधार पर होगा :–

(I) किसी एक जनपद को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि=

सम्बन्धित जनपद के कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो। × प्रदेश में उपलब्ध धनराशि
प्रदेश में कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो।

(II) किसी एक विकास खण्ड को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि=

सम्बन्धित विकास खण्ड के कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो। × जनपद में उपलब्ध धनराशि
जनपद में कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो।

(III) किसी एक ग्राम विशेष को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि=

सम्बन्धित ग्राम के कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो। ×विकास खण्ड में उपलब्ध धनराशि
विकास खण्ड में कुल आवासविहीन परिवारों की संख्या,
जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0सूची में न हो
एवं वार्षिक पारिवारिक आय रू0–36000/– से कम हो।

7– योजना के कार्यान्वयन का दायित्व/कार्यान्वयन संस्थाः–

योजना के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का होगा।

8– योजनान्तर्गत लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने की पात्रता–

योजनान्तर्गत मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष आवासविहीनों को आवासों के आवंटन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं:–

(क) अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम–

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/परिवार।

5/–

2. अनु0जाति/अनु0 जनजाति के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवायें अथवा एकल अविवाहित महिलायें हों।
3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग, अनु0जाति/अनु0जनजाति के व्यक्ति।
4. भूकम्प, बाढ़ अथवा नदी से कटान, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के परिवार।
5. अनु0जाति/अनु0जनजाति के अन्य परिवार।

क्रमांक—1 के सम्बन्ध मे आवासविहीन होने पर आय सम्बन्धी सीमा लागू नहीं होगी।

(ख) सामान्य जाति (अन्य पिछडा वर्ग को सम्मिलित करते हुये) के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम निम्न प्रकार होगा—

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/परिवार।
2. सामान्य जाति (अन्य पिछडा वर्ग को सम्मिलित करते हुये) के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवायें अथवा एकल अविवाहित महिलायें हों।
3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग सामान्य जाति के व्यक्ति।
4. भूकम्प, बाढ़ अथवा नदी से कटान, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए परिवार।
5. सामान्य श्रेणी के अन्य परिवार।

क्रमांक—1 के सम्बन्ध मे आवासविहीन होने पर आय सम्बन्धी सीमा लागू नहीं होगी।

9— <u>योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया:—</u>

(क) ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों का चयन ऐसे परिवारों में से किया जायेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम रू0—36000/— तक है और आवासविहीन हैं तथा उनका नाम बी0पी0एल0 सर्वे—2002 के आधार पर बनी इन्दिरा आवास हेतु स्थायी पात्रता सूची में नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर लाभान्वित किया जायेगा। गॉव के ऐसे परिवारों का रैपिड सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रस्तर—8 में दी गयी पात्रता क्रम के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। ग्राम सभा

6/—

द्वारा नीचे दिये प्रस्तर–9 (ख) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किये गये चयन के उपरान्त चिन्हित लाभार्थी परिवारों का शत–प्रतिशत सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा। भविष्य में यदि कोई लाभार्थी परिवार जॉच के दौरान गलत तथ्यों के आधार पर आवास प्राप्त हुआ पाया जाता है तो उससे आवास की पूरी लागत भू–राजस्व की भॉति वसूल कर ली जायेगी तथा इस हेतु दोषी संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं सबंधित दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(ख) शासन द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता के अनुसार ग्राम पंचायतवार लाभार्थी परिवारों का सर्वेक्षण करने हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् सर्वेक्षित सूची ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में डुग्गी पिटवाकर ग्रामवासियों को अवगत कराया जायेगा कि इस सूची का अवलोकन करें, यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे ग्राम पंचायत के सचिव अथवा प्रधान को उपलब्ध करायें। आपत्तियॉ प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठक में, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि भी होगा, के समक्ष पूर्व सर्वेक्षित सूची को पढ़ा जाये एवं उसके सम्बन्ध में जो आपत्तियॉ प्राप्त हुयी हों, उसे भी पढ़ा जायें। सर्वेक्षित सूची एवं आपत्तियों पर विचार कर अन्तिम रूप से सूची तैयार कर पुनः ग्राम पंचायत के सूचना पट्टिका पर अंकित की जाये तथा सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो खण्ड विकास अधिकारी को 03 दिन के अन्दर सूचित किया जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी को प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा स्वतः अथवा किसी सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से प्रकरण की जॉच करायी जायेगी तथा जॉच आख्या के आधार उस आपत्ति का निराकरण करते हुए अन्तिम सूची मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी। चयनित सूची की प्राथमिता इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि जिस व्यक्ति की वार्षिक आय (निर्धारित सीमा के अनुसार) सबसे कम हों, उसे सबसे ऊपर तथा आय के बढ़ते क्रम में सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची के अनुसार ही आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ग) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत चयनित/लाभान्वित परिवारों में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति (डुप्लीकेशन) न हो, इस हेतु संबंधित मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक का यह दायित्व होगा कि इन दोनों योजनाओं में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चयनित/लाभान्वित परिवारों की सूची का मिलान करें, जिससे किसी भी दशा में एक योजना में लाभान्वित परिवार को दूसरी योजना का लाभ न मिल सके।

7/–

(घ) राज्य स्तर से विभागाध्यक्ष को 50—50 प्रतिशत की दो किश्तों में धनराशि दी जाएगी जिसे वह अपने स्तर से जनपदों को अवमुक्त करेगें। जनपदों को प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त जनपद की माँग पर राज्य स्तर से द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(च) जिले से आवास के लाभार्थियों को उनके राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में दो किश्तों में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थी द्वारा पूर्व निर्गत धनराशि के अनुसार 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात् दी जायेगी।

(छ) चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्डों द्वारा अपने कार्यालय भवन की दीवार पर अंकित करायी जायेगी। यह दायित्व खण्ड विकास अधिकारी तथा सचिव, ग्राम पंचायत का होगा।

10— योजनान्तर्गत वित्तीय आवश्यकता— (कम्पोनेन्टवार अनुदान संख्या—13 एवं 83 तथा 81 के अन्तर्गत)

अनुदान संख्या—13 में सामान्य जाति तथा अनुदान संख्या—83 में अनुसूचित जाति तथा अनुदान संख्या—81 में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए बजट प्राविधान किया जायेगा। इस योजना के लिए आय—व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक जितने परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है, केवल उतने ही परिवारों का चयन किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों का चयन एवं तद्नुसार आवास की स्वीकृति उपलब्ध धनराशि तक ही सीमित रखी जायेगी।

11—योजना की कार्ययोजना—

प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के अनुसार कार्ययोजना तैयार करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान (एस0सी0एस0पी0)/ट्राइबल सब प्लान (टी0एस0पी0) हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0 से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

12— योजना का प्रशासनिक स्वरूप तथा अनुश्रवण व्यवस्था—

योजना का अनुश्रवण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक मण्डल/जनपद से ई—मेल पर सूचना प्राप्त करते हुए पाक्षिक समीक्षा की जायेगी और टीम तैयार कर फील्ड में भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

13– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–भवन का मानचित्र।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 107(1)/38–4–2013, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2–प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3–प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
6–स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
7–निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8–निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
9–समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10–समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
11–समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13–निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
14–नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0, राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

प्रस्तावित

डा0 राम मनोहर लोहिया

ग्रामीण आवास योजना हेतु

आवास का प्राक्कलन

विकल्पः—1

मानचित्र

(ओ० पी० तिवारी)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन ।

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ० प्र० शासन

भवन की लागत का विवरण

कुल निर्मित क्षेत्रफल–	21.1 वर्ग मीटर
लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कुर्सी क्षेत्रफल दर– (01.11.2011 से प्रभावी)	6570 वर्ग मीटर
ठेकेदार का लाभांश एवं टैक्स– (13 प्रतिशत)	रु0 855
शुद्ध कुर्सी क्षेत्रफल दर–	रु0 5715 प्रति वर्ग मीटर
कुल लागत–	रु0 1,20,000
सामग्री की लागत –	रु0 1,00,000
मजदूरी–	रु0 20,000

(ओ० पी० तिवारी)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन ।

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ० प्र० शासन

DRAWING FOR AVAS - LOHIYA GRAMEEN AVAS YOJNA

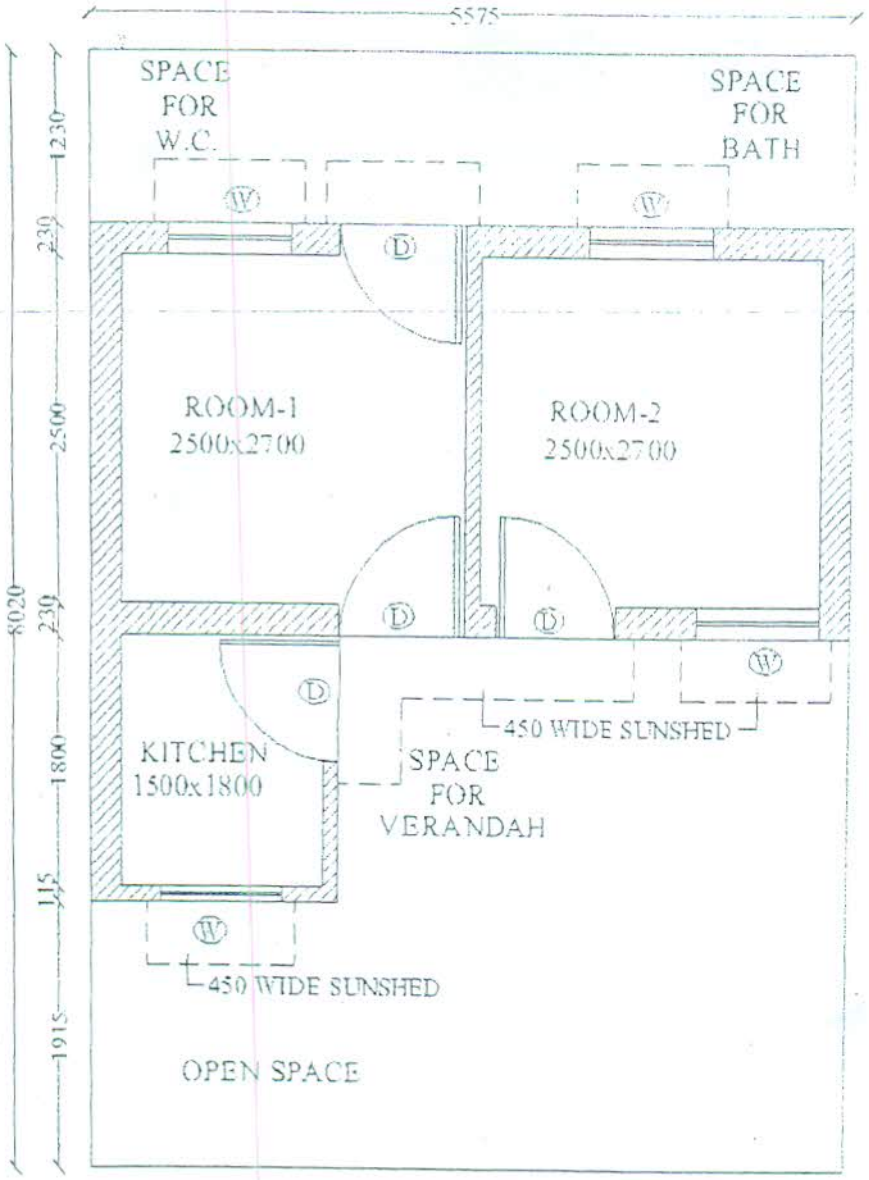

PLAN

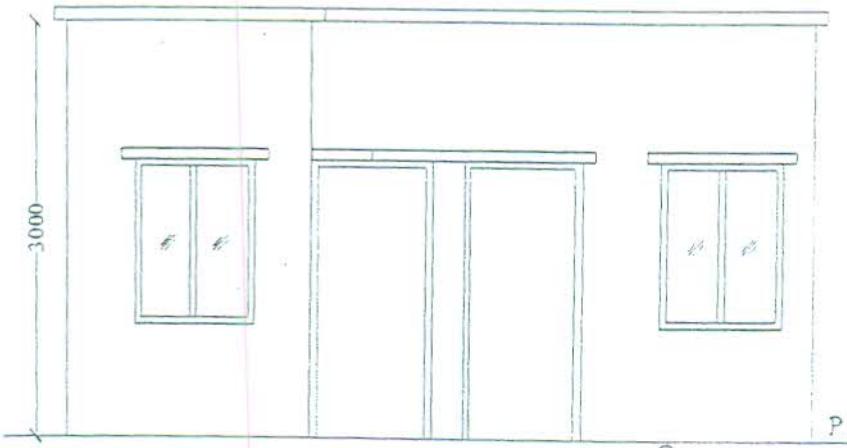

FRONT ELEVATION

PLOT AREA = 45.82 SQ.M.

PLINTH AREA = 21.1 SQ.M.

PLINTH AREA RATE = Rs.5715.00 Per MT
(AS PER P.W.D.)

TOTAL COST OF AVAS = Rs.1,20,000.00

COST OF MATERIAL = Rs.1,00,000.00

COST OF LABOUR = Rs.20,000.00

DOOR & WINDOW SCHEDULE			
S.No.	ITEM	SIZE	QTY.
1-	D	900 x 2000	4 NOS.
2-	W	900 x 1200	4 NOS.

(ओ० प्र० तिवारी)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन